भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2255

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवा संबंधी वित्तपोषण और बजट का उपयोग

†2255. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत परिकल्पित सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अब भी उससे कम बना हुआ है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 2025-26 के दौरान देश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत योजना-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधि आवंटन एवं उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2026-27 के स्वास्थ्य बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, विशेषकर देश में प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): वर्ष 2017 में तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) में स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदायगी की लागत में कमी करके पहुंच और वहनीयता में वृद्धि के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच और समानता प्रदान करना है। इस नीति का लक्ष्य सभी विकासात्मक नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या अभिमुखता के माध्यम से सभी आयु वर्गों में सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना, और वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जन स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन 2017-18 (ब.अ.) में ₹47,353 करोड़ से बढ़कर 2026-27 (ब.अ.) में ₹1,01,709 करोड़ हो गया है, जो 114.79% की वृद्धि है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) हेतु बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (स.अ.) और वास्तविक आंकड़ों (ई-लेखा के अनुसार) का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ों में)

क्र.सं.	**योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम**	**ब.अ. 2025-26**	**स.अ. 2025-26**	**31.03.2026 तक के वास्तविक आंकड़े**
केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) की योजनाएं/परियोजनाएं				
1	**पीएम-एबीएचआईएम**	558.45	402.50	429.30
2	**पीएमएसएसवाई**	2200.00	1500.00	1383.53
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)				
3	**पीएम-एबीएचआईएम**	4200.00	2442.50	2442.48

पीएम- एबीएचआईएम को स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्रवाई और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है, जिससे महामारियों और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता बढ़ती है। पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्रों के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान देने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों मे मानव संसाधन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुँच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रस्तावों का अनुमोदन मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में किया जाता है।

कुल 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके संचालित किया गया है। ये एएएम व्यापक सेवाओं के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास संबंधी और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं। एएएम बिहार सहित देश भर में, चरणबद्ध तरीके से 12 पैकेज की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें प्रजनन और बाल परिचर्या सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), उपशामक परिचर्या और बुजुर्गों की परिचर्या, सामान्य मानसिक विकारों की परिचर्या, न्यूरोलॉजिकल स्थितियां (मिरगी, डिमेंशिया) और पदार्थ उपयोग विकारों का प्रबंधन (तंबाकू, शराब, ड्रग्स) मौखिक स्वास्थ्य, ईएनटी परिचर्या, और बुनियादी आपातकालीन परिचर्या शामिल हैं।

भारत सरकार ने देश भर में मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए एनएचएम के तहत विभिन्न पहल की हैं। प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में निःशुल्क, कैशलेस प्रसव (सीज़रियन सहित), निदान, दवाएं, आहार, परिवहन और रक्त आधान प्रदान करना, साथ ही रोगी शिशुओं के लिए भी समान लाभ उपलब्ध कराना है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए):** प्रत्येक महीने की 9 तारीख को विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित प्रसव-पूर्व जांच प्रदान करता है, जिसमें उच्च-जोखिम वाली गर्भधारण की पहचान और प्रबंधन पर जोर दिया जाता है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन):** गर्भवती महिलाओं और नवजातों को सेवाओं से वंचित करने के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ, नि:शुल्क, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है।
- **प्रसवोत्तर परिचर्या पहल:** आशाकर्मी की सहायता से उच्च-जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और प्रबंधन को सुदृढ़ करना।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी):** जीवनचक्र दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों, किशोरों, प्रजनन आयु की महिलाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में एनीमिया का उपचार करना।
- **पोषण और बाल स्वास्थ्य क्रियाकलाप**: इसमें मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन (एम ए ए), स्तनपान प्रबंधन केंद्र, विटामिन ए अनुपूरण, गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी)/युवा बच्चों हेतु गृह आधारित परिचर्या कार्यक्रम (एचबीवाईसी) और मिशन पोषण 2.0 शामिल हैं।

*****